

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक-30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 479]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 — आश्विन 9, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/12/30.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/ 12/13 दिनांक 30-07-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27-07-2020 द्वारा जिला बस्तर में विद्यमान 37 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 15 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला बस्तर के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/ 2019/12/14 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी, निर्धारित समयावधि में जिला बस्तर की समितियों के पुनर्गठन हेतु कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव राज्य शासन एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/ 2019/12/13 दिनांक 30-07-2019 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कंडिका क्रमांक-5(छ) के अनुसार “जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019**

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बस्तर की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ की प्रथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुर्नगठन योजना, 2019

अनुसूची-एक

क्र	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. घोटिया	1. मधोता - 01 2. मधोता - 02 3. झारतराई	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. लामकैर
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. लोहण्डीगुड़ा	1. करकागुड़ा 2. मटनार 3. मेंदरी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. मारडूम
3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. अलनार	1. कूथर	

4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. करंजी	1. टाण्डपाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सिरिसगुड़ा
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. कोलचूर	1. मरलेंगा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बस्तर
6	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. डिलमिली	1. केलाउर 2. कटेनार 3. पखनार	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. दरभा

अनुसूची-दो

क्र	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्य क्षेत्र (ग्रामो का नाम)
1	2	3	4
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सरगीपाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. राजनगर	1. राजनगर 2. खमेश्वरी 3. भेजरीपदर 4. बनारस
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. कचनार	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. छोटेदेवड़ा	1. छोटेदेवड़ा 2. नेगानार 3. पंडानार 4. ढोढरेपाल 5. मोहलई (नवीन)
	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. मूली		1. रामपाल
3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. करपावंड	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. मंगनार	1. मंगनार 2. जोन्दरीगुड़ा 3. खोटकापाल 4. कोदागुड़ा 5. बेलपुटी 01 6. बेलपुटी 02 7. सोरागुड़ा 8. करहाभांटा
4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. जैतगिरी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सोनपुर	1. सोनपुर 2. बनियागांव 3. मटनार 4. बेड़ागांव 5. सौतपुर 6. नरावण्ड
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. जैबेल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. गारेंगा	1. गारेंगा 2. बड़ेजिराखाल 3. मरेठा 4. छोटेजिरावाल 5. वनकोमार 6. मोहलई 7. लावागांव 8. चारगांव 9. तारेका
6	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सोनारपाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. चपका	1. चपका 2. फाफनी
	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. केशरपाल		1. कुम्हली
7	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. नेगानार	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. चिंगपाल	1. चिंगपाल 2. केशापुर 3. छिन्दबहार 4. कोयनार

			5. ककनार 6. माहकापाल 7. गाड़मगुड़ा 8. मावलीपदर 9. टोपर 10. सेड़वा
8	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बड़ेमुरमा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. जामावाड़ा	1. जामावाड़ा 2. उलनार 3. चिलकुटी 4. काकरवाड़ा 5. टोंडापाल 6. बिरनपाल 7. छोटेबदाम 8. बड़ेबदाम 9. नवागुड़ा
9	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. नानगुर	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. पुसपाल	1. पुसपाल 2. जोजल 3. धनियालूर 4. कैकागढ 5. कुलगांव 6. तिरिया 7. कालागुड़ा 8. कावापाल 9. आलकुरटाइपदर 10. गुमलवाड़ा 11. तोलावाड़ा 12. पुलचा 13. करकागुड़ा 14. गाड़घाट 15. चोररास 16. कागेर
10	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. मारडूम	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बिन्ता	1. बिन्ता 2. करेकोट 3. मेजा 4. कोरली 5. सतसपुर 6. रायगौदी 7. ककनार 8. महिमा 9. पुसपाल 10. पालम 11. चन्देला 12. धर्मबेड़ा 13. अमलीधर 14. कोड़नार

अनुसूची-तीन

क्र	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों के नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है।
1	2	3	4	5
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बकावण्ड	दाबगुड़ा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सरगीपाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. नलपावण्ड
		1. नलपावण्ड 2. कोटा 3. पिठापुर 4. उड़ियापाल	—	
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सिरिसगुड़ा	नैनमुर, सालेपाल, बारुपाटा, कलेपाल, कामदेवकुरुसपाल, नैननार,	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. रायकोट
3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. तोकापाल	1. रायकोट 2. एरण्डवाल 3. दुगनपाल 4. मटकोर 5. गाटम 6. गुराम 7. उड़वा 8. बुरुंगपाल 9. मावलीभाटा 10. मंडवा	—	
		1. बड़ेमारेंगा 2. तेलीमारेंगा 3. गुडरामारेंगा 4. डिमरापाल 5. केशलूर 6. कानाकुरुसपाल 7. सोसनपाल 8. कलेपाल 9. डोंगरीगुड़ा 10. बुरुंगपाल 11. बडेमोरठपाल 12. छोटेमोरठपाल 13. कुरेंगा 14. नवागांव 15. पलवा 16. बाघनपाल	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बड़ेमारेंगा

4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. जगदलपुर	भड़िसगांव	—	
		1. पल्ली 2. कुम्हरावण्ड 3. घाटपदमुर 4. नेगीगुड़ा 5. तितिरगांव 6. बालीकोटा 7. कोण्डावल 8. कालीपुर 9. धरमपुरा 10. अघनपुर 11. कंगोली 12. बिरिंगपाल	—	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. पल्ली
	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. जगदलपुर	1. कुरंदी 012. कुरंदी 02 3. चिलकुटी 4. डोंगरीगुड़ा5. सुलियागुड़ा		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. बाबुसेमरा
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. माड़पाल	1. बाबूसेमरा 2. आड़ावाल 3. खम्हारगांव 4. धुरगुड़ा 5. तेलीसेमरा 6. नकटीसेमरा 7. बुरन्दवाड़ासेमरा 8. अटपहरीसेमरा	—	
		1. कस्तुरी 2. रामपाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. नगरनार	